

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पनोतिपा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पनोतिपा .....  
 व भू.अ.नि. गिजवादे ..... की रिपोर्ट तथा गिजवादे तहसीलदार ..... /नायब  
 तहसीलदार गिजवादे ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पनोतिपा ..... तहसील रेलमगरा व  
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 ..... में खाता संख्या 455, 454, 459 में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिपोर्ट में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पनोतिपा	453 454 455 247	भगवानलाल पुत्र कालुराम जाति खाती खा.देह	भगवानलाल पुत्र कालुराम जाति खुषार खा.देह

  
**सहायक कलक्टर**  
 लोक अदालत  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
रेलमगरा

क्रमांक:- 1777/2025/18  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/9/25

- गिजवादे तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
  3. रक्षित पत्रावली।

  
**सहायक कलक्टर**  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
रेलमगरा